न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 54/2025 (JCMS:- 2025/370)

अनवानः ओमप्रकाश बनाम शमशान भूमि सरक्षंण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी

--निर्णय-- **दिनांक :07.07.2025**

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पेश कर निवेदन किया। कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 16/2024, अनवान शमशान भूमि सरंक्षण बनाम राजस्थान सरकार आदि, अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए का निर्णय दिनांक 16.06.2025 को किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा सहवन से 4 बिस्वा के स्थान पर 6 बिस्वा भूमि अंकित हो गई है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 16.06.2025 को दुरूस्त कर चक 6 वीं के मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 5, 4, 3, 8 की कुल 6 बिस्वा भूमि के स्थान पर 4 बिस्वा भूमि गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनापत्ति जाहिर की।

हमने बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की विस्तारपूर्वक सुनी। दौराने बहस अधिवक्तागण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 16.06.2025 को दुरूस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र तथा उसके साथ प्रस्तुत प्रकरण संख्या 16/2024, अनवान शमशान भूमि सरंक्षण बनाम राजस्थान सरकार आदि, अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए का निर्णय दिनांक 16.06.2025 का अवलोकन किया। धारा 152 सीपीसी ''निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन-निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणित संबधी भूले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी''

प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष लेखन में भूल होने से हुआ है तथा निर्णय दिनांक 16.06.2025 एंव आदेश दिनांक 16.06.2025 में चक 6 वीं धनूर के मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 5, 4, 4 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ 1-1 बिस्वा भूमि, किला नम्बर 3, 8 प्रत्येक की पूर्वी बट के साथ-साथ 1-1 बिस्वा भूमि कुल 6 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता के स्थान पर चक 6 वीं धनूर के मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 5, 4 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ 1-1 बिस्वा भूमि, किला नम्बर 3, 8 प्रत्येक की पूर्वी बट के साथ-साथ 1-1 बिस्वा भूमि कुल 4 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता पढे जाने के आदेश दिये जाते है। संशोधित आदेश जारी हो। आदेश प्रार्थना पत्र मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर